न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 142/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 15.06.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/142

लक्ष्मीलाल पिता श्रीलाल जाति लौहार, उम्र 60 वर्ष, निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

बंशीलाल पिता नानूराम जाति खटीक, निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ पट्टाधारी मृत्तक के बजाएः–

1–रमेश पिता स्व. बंशीलाल जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी चिकारड़ा, ग्राम पंचायत चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–पूरण पिता स्व. बंशीलाल जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी चिकारड़ा, ग्राम पंचायत चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–कोमल पिता स्व. स्व. बंशीलाल जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी चिकारड़ा, ग्राम पंचायत चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–ग्राम पंचायत चिकारड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत चिकारड़ा, पंचायत समिति व तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 09201 द्वारा ग्राम पंचायत चिकारड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 142/2022 (नि.पं.)
लक्ष्मीलाल पिता श्रीलाल लौहार निवासी चिकारड़ा बनाम बंशीलाल पिता नानूराम खटीक मृत्तक के बजाएः-रमेश पिता स्व. बंशीलाल जाति खटीक निवासी चिकारड़ा वगैरा

उपस्थिति : 1-श्री हीरालाल सुखवाल, अधिवक्ता निगराकार
2-श्री भैरूलाल सालवी, अधिवक्ता गैर निगराकार सं. 1 से 3

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत चिकारड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता स्व. बंशीलाल के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 09201 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत चिकारड़ा के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने सारे तथ्यों एवं नियमों को ताक में रखकर स्व. नानूराम जी के प्रभाव में आकर यह गलत पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत चिकारड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09201 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल सालवी ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। गैर निगराकार संख्या 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, चिकारड़ा ने पत्रांक ग्रा.पं./चि./वर्ष 2022-23/SPL दिनांक 21.12.2022 से अवगत कराया कि उक्त पट्टे संबंधित कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, चिकारड़ा ने गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता स्व. बंशीलाल खटीक के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। स्व. बंशीलाल को जारी पट्टा सरासर गलत तथ्यों एवं नियमों को ताक में रखकर सरपंच व ग्राम पंचायत द्वारा स्व. नानूराम को लाभ पहुंचाने की मंशा से स्व. नानूराम के प्रभाव में आकर जारी कर दिया गया है जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता या गैर निगराकार संख्या 1 से 3 का भी कभी कब्जा नहीं रहा है जिससे यह पट्टा निरस्त योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 142/2022 (नि.पं.)
लक्ष्मीलाल पिता श्रीलाल लौहार निवासी चिकारड़ा बनाम बंशीलाल पिता नानूराम खटीक मृत्तक के बजाएः-रमेश पिता स्व. बंशीलाल जाति खटीक निवासी चिकारड़ा वगैरा

वर्तमान में निगराकार की खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की जमीन के पास सांवलिया जी रोड़ पर जो सरकारी बिलानाम भूमि पडी है उसके थोडे से भाग पर तार बांध कर गैर निगराकारों ने करीब 05 माह पहले कब्जा कर लिया है जो जमीन रास्ते के पास होकर तीनों गैर निगराकारों ने रास्ते पर अतिक्रमण किया है। निगराकार द्वारा उक्त पट्टे की नकल सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाहने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ने अपने लेटरपेड़ पर लिखकर दिया कि पट्टे संबंधी कोई रेकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिससे यह साफ जाहिर है कि पंचायत प्रशासन, गैर निगराकारों के प्रभाव में है इसलिए कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। गैर निगराकार आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न है और निः शुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं इस बिन्दु को भी पंचायत ने नजरअंदाज कर गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में पट्टा जारी किया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09201 निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 से 3 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत चिकारड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 09201 पंचायती राज नियमों की पालना कर जारी किया है जिससे पट्टा पूर्णतया विधि-सम्मत् है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकारगण के पिता स्व. बंशीलाल जी को पट्टा उनके पिता नानूराम जी के समय से 50 वर्षों से भी अधिक पुराना कब्जा होने से जारी किया गया है। गैर निगराकारगण के पिता अनुसूचित जाति के व्यक्ति होकर गरीब तबके के व लघु सीमान्त कृषक होने से अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निः शुल्क पट्टा जारी किया जो पूर्णतया विधि-सम्मत् है। गैर निगराकारगण द्वारा सरकारी भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। गैर निगराकारगण के पिता उक्त भूखण्ड पर कच्चा-पक्का निर्माण कर आवास एवं मवेशियों के उपयोग-उपभोग हेतु उक्त भूखण्ड काम में लिया जा रहा है। निगराकार ने उक्त भूखण्ड हड़पने की नियत से अपनी निगरानी में मनगढ़न्त तथ्यों का अंकन करते हुए द्वेषतावश यह निगरानी पेश की है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकार ने उक्त पट्टा रास्ते के पास एवं रास्ते पर अतिक्रमण होना बताया है किन्तु निगराकार ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टा रास्ते की जमीन पर अथवा रास्ते पर अतिक्रमण की पुष्टि होती हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 142/2022 (नि.पं.)
लक्ष्मीलाल पिता श्रीलाल लौहार निवासी चिकारड़ा बनाम बंशीलाल पिता नानूराम खटीक मृत्तक के बजाएः-रमेश पिता स्व. बंशीलाल जाति खटीक निवासी चिकारड़ा वगैरा

जहां तक अधिवक्ता निगराकार ने पट्टा जारी करने में सारे नियमों को ताक में रखकर स्व. नानूराम के प्रभाव में आकर उसे लाभ पहुंचाने की मंशा से पट्टा जारी करना बताया है उक्त कथन की पुष्टि स्वरूप भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत चिकारड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता स्व. बंशीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09201 का अवलोकन किया जिसके अनुसार उक्त पट्टा अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों, लघु सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निः शुल्क भूखण्ड आवंटन के तहत जारी किया गया है गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता स्व. बंशीलाल भी अनुसूचित जाति/तबके के होने से निः शुल्क पट्टा जारी किया गया है। निगराकार ने अपनी निगरानी में उक्त तथ्य भी अंकित किया है कि गैर निगराकार आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न है और निः शुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं उक्त कथन की पुष्टि स्वरूप भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। साथ ही पंचायत में रेकार्ड की अनुपलब्धता पट्टे के निरस्ती का आधार नहीं माना जा सकता। क्योंकि रेकार्ड की अनुपलब्धता में पट्टेधारी का कोई दोष नहीं है। निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा जारी पट्टा संख्या 09201 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official